

प्रति निर्णय दिनांक 18-3-2020

स्थगन प्रार्थना पत्र सं- R.M. 1/2020

हंसलाराम बनाम राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

— ५५५ —

18-3-20 प्राथी के वकील उपस्थित / इन्वार्डी
की ओर से सरकारी वकील उपस्थित /
इस प्रकरण से संबंधित मूल अपील
में निर्णय हो चुका है। अतः अतः इस
स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं
होने से यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है। प्रभावती कैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो / निर्णय संदे इजलास
सूनाया गया / यह प्रकरण मूल अपील के
साथ संलग्न किया जावे /

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)